

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 13]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSA 19, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 जनवरी, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2014

सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/38/49. —बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में, -

(i) विनियम 4 में, —

(क) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्,-

"(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 17 के उप-विनियम (10) के खंड (ड) के उप-खंड (ii) और विनियम 21 के उप-विनियम (3) के अनुसार आगम";

(ख) खंड "(च)" और "(छ)" क्रमशः खंड "(झ)" और "(ज)" के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जायेंगे ;

(ग) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्, —

"(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 के विनियम 15ख में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं की पूर्ति न किये जाने के लिए समपहृत रकमें ;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 45 के उप-विनियम (9) के अनुसार अंतरित की गयी धनराशियाँ;

(ज) अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन प्रत्यर्पित रकमें ;"।

(ii) विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, —

"(3) उप-विनियम (1) तथा (2) के उपबंधों के होते हुए भी, इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (ज) के अनुसार प्रत्यर्पित और निधि में जमा की गयी रकमें और उन पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग, उन मामलों में जहाँ बोर्ड ऐसे पात्र और पहचाने जा सकने वाले विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को वापस करना ठीक समझे जिन्होंने प्रतिभूति विधियों के अतिक्रमण के परिणामस्वरूप हानियाँ उठायी हों, केवल इस प्रकार वापस किये जाने के प्रयोजनार्थ किया जायेगा :

परंतु यह कि पात्र और पहचाने जा सकने वाले विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को वापस किये जाने की प्रक्रिया के लिए रकम उद्दिष्ट करने के पश्चात् निधि में बची धनराशियों का उपयोग उप-विनियम (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट निधि के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि किसी विनिर्दिष्ट मामले में प्रत्यर्पित रकमों में से वापस किये जाने का कोई भी दावा बोर्ड द्वारा उक्त मामले में प्रत्यर्पण के लिए दावों को आमंत्रित किये जाने की तारीख से सात वर्षों की अवधि के पश्चात् अनुज्ञेय नहीं होगा।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/69जैडबी/13]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/05/163525, 19 मई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th January, 2014

Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2014

No. L.A.D-N.R.O./G.N./2013-14/38/49.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, –

(i) in regulation 4,—

(a) for clause (c), the following shall be substituted, namely,—

"(c) proceeds in accordance with the sub-clause (ii) of clause (e) of sub-regulation (10) of Regulation 17 and sub-regulation (3) of regulation 21 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011";

(b) clauses "(f)" and "(g)" shall respectively be renumbered as clauses "(i)" and "(j)";

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely,—

"(f) amounts forfeited for non-fulfilment of obligations specified in regulation 15B of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 1998;

(g) monies transferred in accordance with sub-regulation (9) of regulation 45 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

(h) amounts disgorged under Section 11B of the Act or Section 12A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or Section 19 of the Depositories Act, 1996. "

(ii) in Regulation 5, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,—

"(3) Notwithstanding the provisions of sub-regulations (1) and (2), amounts disgorged and credited to the Fund in accordance with clause (h) of Regulation 4 of these regulations and the interest accrued thereon shall, in cases where the Board deems fit to make restitution to eligible and identifiable investors who have suffered losses resulting from violation of securities laws, be utilised only for the purposes of such restitution:

Provided that monies left in the Fund after earmarking the amount for the process of restitution to eligible and identifiable investors may be utilised for the purposes of the Fund specified in sub-regulations (1) and (2):

Provided further that no claim for restitution from the disgorged amounts in a specific case shall be admissible after a period of seven years from the date of invitation of claims for disgorgement in the said case by the Board."

[ADVT.-III/4/Exty./69ZB/13]

U. K. SINHA, Chairman

Footnote:

1. The SEBI (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 19th May, 2009 vide No. L.A.D.-NRO/GN/2009-10/05/163525.